सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –08.12.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना सिरसाकलार पुलिस टीम द्वारा बाइक चोरी की घटना को लूट की झूठी घटना बताकर अभियोग पंजीकृत कराने वाले वादी मुकदमा व उसके सहयोगी के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

दिनांक 04.12.2024 को आवेदक समीर खान पुत्र खोज मुहम्मद निवासी सिरसाकलार जनपद जालौन द्वारा मोटरसाइकिल डीलेक्स नं0 UP78 GM1054 के चोरी हो जाने के उपरान्त अपने सहयोगियो के साथ मिलकर थाना सिरसाकलार पुलिस को लूट की झूठी सूचना देकर थाना सिरसाकलार में मु0अ0स0- 188/202 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था।

उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान लूट की घटना असत्य पाये जाने पर वादी मुकदमा 1.समीर खांन पुत्र खोज मुहम्मद निवासी ग्राम व थाना सिरसाकलार जनपद जालौन सहयोगी 2. गोपाल पुत्र सन्तोष कुमार निवासी ग्राम मल्थुआ थाना सिरसाकलार जनपद जालौन 3. शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगबन्दन सिंह निवासी मल्थुआ थाना सिरसाकलार जनपद जालौन को पुलिस को लूट की झूठी सूचना देकर गुमराह करना व लूट की झूठी सूचना देकर अभियोग पंजीकृत कराने पर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे चालान कर मा0न्यायालय उपजिलामजिस्ट्रेट जालौन के समक्ष भेजा गया।